छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 93/2007</u>

श्री देवेश शर्मा,
मकान नंबर–372,
सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 30 अप्रेल 2007)

श्री देवेश शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसने दिनांक 23–09–2006 को जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील कुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत की। आवेदनपत्र की जानकारी विप्र महाविद्यालय से संबंधित थी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय, रायपुर को पत्र दिनांक 25–9–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जावे। चूंकि विप्र महाविद्यालय के द्वारा जानकारी नहीं दी गई। अतः आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण अधिनियम की धारा–20 के अंतर्गत प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये कि क्यों न 10,000/– रुपये की शास्ति से दण्डित किया जावे। प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय की ओर से अभिभाषक एवं अपीलार्थी तथा जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं जवाबों पर विचार किया गया। प्रतिअपीलार्थी प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय की ओर से यह बतलाया गया कि आवेदक व्यक्तिगत जानकारी चाही है, जो कि अधिनियम की धारा–8(जे) के अंतर्गत जनहित में न होने से दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और यह जानकारी व्यक्ति की वैयक्ता का उल्लंघन होगा। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने कार्यालयीन रिकार्ड की जानकारी मांगी है, अतः दी जाना चाहिये।

3/ अपीलार्थी के आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने यह जानकारी चाही थी कि विप्र महाविद्यालय के इतिहास विषय में 1996 से कला संकाय की समाप्ति तक कौन सहायक प्राध्यापक था, स्थाई संबद्धता के लिये महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन–पत्र में महाविद्यालय में कार्यरत सहायक

प्राध्यापकों की सूची एवं विप्र महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति, परीक्षा केन्द्र, अधीक्षक, सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति, वर्ष 1996 से 2002 तक की अवधि की सूची चाही गई थी। ये समस्त जानकारियाँ व्यक्तिगत जानकारी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह महाविद्यालय के कार्यालयीन अभिलेख का अंग है तथा इससे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की कोई गोपनीयता भंग नहीं होती। कौन सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय में कब से कब तक पदस्थ रहा यह जानकारी सार्वजनिक हित की है। इसमें कोई व्यक्तिगत गोपनीयता भंग नहीं होती है। विप्र महाविद्यालय में भी लोक प्राधिकारी है, अतः उसको आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करना चाहिये। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क कि जानकारी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, मान्य नहीं किया जा सकता।

4/ यद्यपि प्रतिअपीलार्थी प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय एवं जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई है, किन्तु जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा इसलिये जानकारी नहीं दी जा सकी कि वांछित जानकारी विप्र महाविद्यालय से प्राप्त होना थी। जन सूचना अधिकारी, विप्र महाविद्यालय को आवेदन पत्र पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के जन सूचना अधिकारी के द्वारा भेजा गया था, अतः जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जानकारी विलम्ब से देने के लिये दोषी नहीं है, उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा इस आधार पर जानकारी नहीं दी गई कि जानकारी व्यक्तिगत है। मांगी गई जानकारी महाविद्यालय के प्राध्यापकों से संबंधित है तथा महाविद्यालय के अभिलेख से संबंधित है। अतः उक्त जानकारी पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के जन सूचना अधिकारी के मांगे जाने पर प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय, रायपुर द्वारा देना चाहिये था। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय, रायपुर द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश सूचना नहीं देने का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि प्राचार्य, विप्र महाविद्यालय, रायपुर के द्वारा अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के माध्यम से 15 दिन के अन्दर निःशुल्क जानकारी प्रदान की जावे तथा जानकारी की प्रति छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को भी प्रेषित की जावे।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

प्रोफे. व्ही.के. गोयल,
व्यावसायिक परीक्षा मंडल,
निवास–क्वार्टर नंबर एम.ओ.–1,
ग्रीनलैंड कालोनी, विशाल नगर, रायपुर
फोन–4089919 (निवास)
0771–4036098 (कार्यालय)
मोबाईल **94255-08099**